समाचार-प्रकाशनार्थ:-

शासकीय सेवा के दौरान नागरिकों को स्वच्छता के लए प्रेरित करे
स्वच्छता सर्वेक्षण -2021 के तहत शहर के कचरामुक्त स्थलों पर रांगोली निर्माण और
जागरुकता कार्यक्रम के दौरान नगर निगम क र्मयों ने भी लया स्वच्छता का संकल्प

रतलाम 18 फरवरी । स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियों के क्रम में नगर निगम सभागार में जागरुकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान नगर को स्वच्छ बनाने में शासकीय तथा अशासकीय स्कूलोए कार्याललयों आदि की भू मका पर चर्चा की गई। इस मौके पर उपायुक्त श्री नि शकांत शुक्ला ने कहा क नगर को स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी है। सबके सहयोग से ही रतलाम शहर साफ-सुथरा और सुंदर बनेगा। इसके लए प्रत्येक निगमकर्मी को जागरुक होकर नागरिक कों भी स्वच्छता के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। लोगों को जागरूक करने में स्कूलों की महत्वपूर्ण भू मका है। स्कूल के वद्या र्थयों के माध्यम से हर घर में स्वच्छता का संदेश पहुंचाया जा सकता है।

यहां उपस्थित सहायक आयुक्त श्री वकास सोंलकी ने शहर के कचरा मुक्त स्थलोंए स्कूलोंए कालेजोंए शासकीय-अशासकीय संस्थानोंए सार्वजनिक स्थलों आदि को साफ-सुथरा बनाकर उपयुक्त स्थानों पर स्वच्छता संदेशों की वाल पेंटिंग कराए। स्कूल के वद्या र्थयों के बीच व भन्ना प्रतियो गताएं आयोजित करके भी स्वच्छता का संदेश दिया जा सकता है। शक्षक तथा वद्यार्थी मलकर स्कूल के आसपास के पार्क अथवा अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थल की भी साफ-सफाई तथा सौन्दर्यीकरण में योगदान दे सकते हैं शहर साफ-सुथरा तथा सुंदर रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। स्वच्छता जागरूकता के लए तैयार की गई व्यापक कार्य योजना को सफल बनाने का प्रयास सभी करे।

कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी भी रखी गई। जिसमें सही जवाब देने वाले निगमकर्मी श्री नासीर म सताए नंद कशोर देवरकरणए अब्दुल वहाबए जितेन्द्रए सुनील मोतीलालए अफसार और धीरजशाह को उपायुक्त श्री शुक्लाएसहायक आयुक्त श्री सोंलकी और नीरजशुक्ला ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जा रहा है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानोंए बागीचोंए खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान गुरुवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है।

निगम कर्मचारी षत-प्रतिषत टीका लगवाकर नगर निगम रतलाम को नम्बर 1 बनायें

निगम आयुक्त श्री झारिया ने विभागवार टीकाकरण की समीक्षा की

आज भी लगाये जायेंगे चार स्थानों पर टीके

रतलाम 18 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम सभागृह में वभाग प्रमुखों की बैठक लेकर निगम कर्मचारियों को लगाये गये टीके की वभागवार समीक्षा की।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आयोजित बैठक में कहा की व भन्न वभागों के षेश रहे लगभग 800 कर्मचारी 19 फरवरी को अनिवाये रूप से डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉलए जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल व सुभाश नगर कम्यूनिटी हॉल पर उपस्थित होकर टीका लगवायें व टीकाकरण अ भयान में नगर निगम रतलाम को नम्बर 1 बनायें। नगर निगम के 2033 कर्मचारियों में से अब तक 1245 कर्मचारी कोरोना का टीका लगवा चुके है।

कर्मचारियों की सु वधा हेतु 19 फरवरी षुक्रवार को भी डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉलए जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल व सुभाश नगर कम्यूनिटी हॉल पर कोरोना का टीका प्रातः 08ः30 बजे से लगाये जाने की व्यवस्था की गई है। कर्मचारी अपने नजदीकी स्थल पर आधार कार्डए मतदाता परिचय पत्रए पेन कार्डए ड्राय वंग लायसेंस आदि के साथ उपस्थित होकर कोरोना का टीका अनिवार्य रूप से लगवाये इस कार्य में कसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री एम.के. जैनए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाष आचार्यए निगम स चव श्री जसवंत जोषीए उद्यान प्रभारी श्री अर वन्द दषोत्तरए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पं डतए बी.एल. चौधरीए राजेष पाटीदारए ब्रजेष कुषवाहए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र षर्माए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए सटी मैनेजर श्री नितिन तिवारीए श्री कपील मारोठियाए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़ेए उद्यान पर्यवेक्षक श्री अनिल पाराए वार्ड दरोगा आदि उपस्थित थे।

पात्र नि वदादाताओं को एमआईजी फ्लेट व दुकानों के मले सहमति पत्र
निगम आयुक्त श्री झारिया ने षेश रा ष जमा कराने की दी जानकारी

रतलाम 18 फरवरी । प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत डॉ0 ष्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर में नि र्मत नगर पा लक निगम रतलाम के स्वा मत्व की दुकानए एम.आई.जी. फ्लेट व महू रोड स्थित डॉ0 ष्यामा प्रसाद मुखर्जी बस स्टैण्ड की दुकान हेतु जारी की गई ई-नि वदा के माध्यम से पात्र नि वदादाताओं निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने षेश रा ष जमा कराने हेतु सूचना-पत्र प्रदान कये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने दुकानए एम.आई.जी. फ्लेट के पात्र नि वदादाताओं को निगम कार्यालय में आमंत्रित दुकान एवं फ्लेट क्रय करने हेतु बधाई प्रे शत कर मठाई खलाकर मुंह मीठा करवाया व षेश रा ष जमा कराने हेतु सूचना-पत्र प्रदान कये।

इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत डॉ0 ष्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर के दुकाने व एम.आई.जी. फ्लेट फ्री होल्ड पर वक्रय कये गये है रजिस्ट्री पष्चात् क्रेता को पूर्ण रूप से मा लकाना हक प्राप्त होगा इसके अलावा महू रोड स्थित डॉ0 ष्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर की दुकान लीजरेंट पर दी जायेगी।

डॉ0 ष्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में नि र्मत दुकानों की नि वदा में श्री वहीद खान षेखए 88 मुखर्जी नगर दुकान क्रमांक एस-4ए श्री गोपाल परमारए 61 मुखर्जी नगर दुकान क्रमांक एस-5ए श्री दिनेष परमारए 149ए मुखर्जी नगर दुकान क्रमांक एस-6ए श्री अ भशेक श्रीवास्तवए 71 नेमीनाथ वहार मुखर्जी नगर के पास दुकान क्रमांक एस-8ए श्री मनीश कुमार जायसवालए षक्ति नगर दुकान क्रमांक एस-9ए श्री जुगल कषोर पाण्ड्याए सज्जन मल रोड मेन गेट के सामने दुकान क्रमांक एस-10ए श्री अ भशेक सोलंकीए 12ए गणेष नगर दुकान क्रमांक एस-11 व श्री सद्धार्थ अग्निहोत्रीए 63ए एम.बी. नगर कस्तुरबा नगर दुकान क्रमांक 12 के लये पात्र पाये गये। इसी तरह एमआईजी फ्लेट हेतु श्रीमती बीना पवांरए 559ए काटजू नगर एमआईजी फ्लेट क्रमांक बी/201 व श्रीमती सरिता जैनए 122ए सज्जन मल रोड एमआईजी फ्लेट क्रमांक ए/308 के लये पात्र पाये गये। इसके अलावा महू रोड स्थित डॉ0 ष्यामाप्रसाद मुखर्जी बस स्टैण्ड की दुकान क्रमांक 2 हेतु श्री प्रांषु पता वजय अग्रवाल सैलाना बस स्टैण्ड पात्र पाये गये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर उपस्थित नि वदाकारों को षेश रा ष जमा करानेए रजिस्ट्री बनवाने आदि के बारे में वस्तृत रूप से जानकारी दी साथ आमंत्रित बैंक अ धकारियों द्वारा दुकान व फ्लेट के ऋण की जानकारी दी।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए श्री नि षकान्त षुक्लाए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए प्रभारी सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीए उपयंत्री श्री राजेष पाटीदारए राजस्व उप निरीक्षक श्री सुनील कपूर आदि उपस्थित थे।

कचरा पात्र नहीं रखने पर फुटकर वक्रेताओं पर कया जा रहा है जुर्माना

पैलेस रोड क्षेत्र में 18 व्यक्तियों पर हुआ जुर्माना

रतलाम 18 फरवरी । नगर को साफ-स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकोंए दुकानदारों आदि से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र रखने की अपील के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है कन्तु नगर के सब्जीए फल-फुरट सहित अन्य सामग्री के फुटकर वक्रेताओं द्वारा कचरा पात्र नहीं रखकर खुले में गंदगी फैलाई जा रही है ऐसे फुटकर व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार पैलेस रोड क्षेत्र के दुकानदार व फुटकर व्यापारियों द्वारा कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में कचरा फेंकने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत आनन्दीलाल पर 100ए जयंतीभाईए अजयए मंगल संहए सूरजए संजयए बग्दीए रेखाबाईए भारतीबाईए दिनेषए अम्बारामए रमेषए नाथुलालए हर्श संह चौहानए जैनमलए हर्शए जितेन्द्र व चन्दाबाई पर 50.50 रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में कचरा खुले में ना फेंकने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखने की समझाईष दी गई।

कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में गंदगी करने पर जमीन पर बैठकर व्यवसाय करने वालो पर 50 रूपये व ठेलागाड़ी पर व्यवसाय करने वालो पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन कये जाने के साथ ही सामग्री भी जब्त की जावेगी।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री एम.के. जैनए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय

आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

बोहरा बाखल में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 29ए80ए144ध्. संपत्तिकर व 6ए77ए805ध्. जलकर जमा कराया

रतलाम 18 फरवरी । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000ध्. व जलकर 6ए000ध्.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000ध्. व जलकर 55ए775ध्.ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विरि में संपत्तिकर 2ए38ए000ध्. व जलकर 49ए010ध्.ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000ध्. व जलकर 43ए670ध्.ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000ध्. व जलकर 29ए280ध्.ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000ध्.

व जलकर 19ए850६ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000६ व जलकर 48ए220६ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000६ व जलकर 14ए000६ ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000६ व जलकर 86ए540६ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000६ व जलकर 3ए76ए905६ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500६ व जलकर 76ए470६ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000६ व जलकर 47ए595६ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000६ व जलकर 22ए680६ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644६ व जलकर 55ए320६ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर 59ए500६ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर 6ए71ए025६ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित ष वरों मेंें 29ए80ए144६ संपत्तिकर व 6ए77ए805६ जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लये 23 फरवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लये 2 मार्च को जूनी कोर्ट करण टॉ कजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25

से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है। निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त
119 दिनों में 147 वॉल्व व 808 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 18 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 18 फरवरी तक 147 वॉल्व व 819 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।
‘ ‘रतलाम जलशक्ति अ भयान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 18 फरवरी शुक्रवार को मल्लत नगर कार्नरए ऑ फसर्स कालोनीए शास्त्री नगरए हाट रोडए टैंकर रोडए सखवाल नगरए काटजू नगर व कस्तुरबा नगर जैन मंदिर के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कये गये।
उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पं डतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री देवेन्द्र पवांर आदि के निर्देशन में की गई।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक
रतलाम 18 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं

सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 18 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 18 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संब धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/18ए02ए2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.